

FOR-2024-2025

पूर्व मध्य रेल
प्लान्ट डिपो, डीडीयू

दिनांक:- 28.07.2025

सं०:- PDOPERS(WEL)/5/2020

सर्व सम्बन्धित
पूर्व मध्य रेल,
प्लान्ट डिपो, डीडीयू।

विषय:-वर्ष:-2024-2025 के लिए प्लान्ट डिपो कारखाना कर्मचारी हित निधि से बीमारी एवं आपदा से सहायता(रिलिफ इन डिस्ट्रेस) के लिए रेलवे कर्मचारियों एवं उनके आश्रितों को पास नियम के तहत अनुदान।

संदर्भ:-महाप्रबन्धक(कार्मिक)/पू०म०रे०/हाजीपुर का पत्र संख्या:- ईसीआर/आईआरडब्ल्यू/सी०एस०बी०एफ० बैठक /2023-24 दिनांक:-30.04.2025।

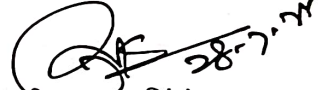
संदर्भित पत्र के आलोक में वर्ष:-2024-2025 में बीमारी के लिए प्लान्ट डिपो कारखाना कर्मचारी हित निधि के बीमारी एवं आपदा से सहायता (रिलिफ इन डिस्ट्रेस) मद से प्लान्ट डिपो इंजीनियरिंग कारखाना के अन्तर्गत विभिन्न अनुभागों के कर्मचारियों एवं उनके आश्रितों को पास नियम के तहत अनुदान दिया जाएगा, जिसका आवेदन प्रपत्र (Annexure "C") प्रस्तुत किया जा रहा है।

रेलकर्म, प्लान्ट डिपो कारखाना कर्मचारी हित निधि से वर्ष:-2024-2025 में निर्धारित आवेदन प्रपत्र (Annexure "C") में भरे गए बीमारी का रेलवे चिकित्सक से प्रमाणीकरण के उपरान्त अपने नियंत्रक पर्यवेक्षक से अग्रसारित कराते हुए संबन्धित सभी शाखा अधिकारी समग्र रूप से प्राप्त आवेदन को दिनांक:-16.08.2025 तक कार्मिक विभाग के कल्याण अनुभाग को मूल रूप से प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करेंगे। आवेदकों को स्पष्ट किया जाता है कि आवेदन पूर्ण रूप से भरा हुआ होना चाहिए तथा निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

संबन्धित प्रपत्र (Annexure "C") प्लान्ट डिपो के वेबसाइट www.indianrailways.gov.in Hajipur HQ-Plant Depot-personnel-welfare activities पर अपलोड हैं एवं Whatsapp के माध्यम से सभी समूहों को प्रेषित।

अतः सभी शाखा अधिकारियों से अनुरोध है कि अपने-अपने विभाग के सभी यूनिट इंचार्ज को इस सम्बन्ध में सूचित किया जाए एवं इसका व्यापक प्रचार एवं प्रसार किया जिससे बीमारी एवं आपदा में सहायता के लिए रेल कर्मचारियों के आवेदन निर्धारित तिथि तक कार्मिक विभाग में जमा हो जाए और अधिक से अधिक कर्मचारी इसका लाभ प्राप्त कर सकें।

संलग्नक:आवेदन प्रपत्र (ANNEXTURE 'C')


(राजीव कुमार सिंह)
वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी
प्लान्ट डिपो, डीडीयू

प्रतिलिपि:

1. मुख्य कारखाना प्रबन्धक/पीडी/डीडीयू महोदय को सादर सूचनार्थ।
2. उप मुख्य इंजीनियर/टीएमसी/पीडी/डीडीयू को सादर सूचनार्थ।
3. अधिशासी इंजीनियर/पीडी एण्ड टीएमसी/डीडीयू।
4. सभी सहायक इंजीनियर/टीएमसी।
5. सीनियर सेक्शन इंजीनियर/समयपाल/सं०शा०/टीएमसी को निर्देश दिया जाता है कि इस आशय का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करेंगे।
6. मुख्य कार्यालय अधीक्षक/स्था०/वेतन/प्रशासन/पास/पीडी/डीडीयू।
7. शाखा सचिव/ईसीआरईयू/एस०सी०एस०टी० एशोसिएशन/पीडी/डीडीयू।
8. नोटिस बोर्ड/सं०शा०/टीएमसी/प्रशासनिक कार्यालय/मेन गेट/पीडी/डीडीयू।


वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी
प्लान्ट डिपो, डीडीयू


28/07/25

Form for Relief & Distrace- 2024-25**'Annexure C'**

पूर्व मध्य रेल/प्लान्ट डिपो/डीडीयू के अराजपत्रित कर्मचारियों के लिए (जमा करने की अंतिम तिथि 16.08..2025)

कर्मचारी हित निधि (एस0बी0एफ0) से वर्ष 2024-25 के लिए प्लान्ट डिपो, डीडीयू में कार्यरत अराजपत्रित रेलकर्मियों व उनके परिवार (पत्नी/पुत्र/पुत्री) के चिकित्सीय सहायता राशि के लिए आवेदन प्रपत्र।

सचिव एस0बी0एफ समिति

पूर्व मध्य रेल, प्लान्ट डिपो,

डीडीयू।

भाग-अ-कर्मचारी का विवरण:-

1	कर्मचारी का नाम (हिन्दी में)				
	ब्लॉक अक्षरों में (अंग्रेजी में)				
2	पदनाम	3	पी0एफ0सं0		
4	विभाग	5	कार्यस्थल		
6	कार्यरत अधीन	7	ग्रेड पे/लेवल		
8	वर्तमान मूल वेतन	9	बिल यूनिट नं0		
10	कर्मचारी का माबाइल सं0				

भाग - ब- रोगी का विवरण:-

1	रोगी का नाम (हिन्दी में)				
	ब्लॉक अक्षरों में (अंग्रेजी में)				
2	रोगी से कर्मचारी का सम्बन्ध				
3	सुविधा पास के लिए पात्र है या नहीं				
4	रोग का प्रकार	कैंसर	हृदय	लिवर/किडनी	अन्य
5	रोग का नाम				
6	मेडिकल कॉलेज/हॉस्पिटल/संस्था का नाम जहां इलाज चल रहा है				
7	रेलवे से बाहर इलाज करवाने का कारण				
8	वर्ष 2024-25 में इलाज के लिए व्यय राशि का विवरण (voucher enclosed)				
9	क्या किसी अन्य से इलाज हेतु कोई सहायता राशि प्राप्त किया है, विवरण दें				
10	रेलवे चिकित्सक की अभियुक्ति एवं प्रमाणीकरण				

प्रमाणित किया जाता है कि मेरे द्वारा दिया गया उपरोक्त जानकारी बिल्कुल सही है। यदि वह गलत होगा तो मुझ पर अनुशासनिक कार्यवाही चलायी जा सकती है साथ ही मुझे स्वीकृत की गई चिकित्सीय राशि को मैं वापस कर दूंगा/दूंगी।

कर्मचारी का हस्ताक्षर

श्री पदनाम..... विभाग..... में कार्यरत हैं।
इनके द्वारा प्रस्तुत किया गया आवेदन मे अंकित नाम पास/अभिलेख अनुसार सही है जिसे सचिव/एस0बी0एफ/पीडी/ डीडीयू को अग्रतर कार्यवाही हेतु भेजा जा रहा है।

नियंत्रक अधिकारी का हस्ताक्षर, मुहर

नोट :- कृपया गंभीर बिमारी जैसे कैंसर, हार्ट, किडनी आदि से ग्रसित आवेदक ही आवेदन करें। आवेदन पर रेलवे चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रमाणीकरण /हस्ताक्षर के साथ जमा करना अनिवार्य है। अन्यथा आवेदन पर विचार नहीं किया जायगा।

रेलवे चिकित्सक द्वारा सत्यापन

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती..... जो श्री/श्रीमती के पुत्र/पुत्री/पत्नी/आश्रित है जो दिनांक से (रोग का नाम)..... से पिडित हैं।

चिकित्सा अधिकारी का हस्ताक्षर
एवं मुहर